

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

॥ अधिसूचना ॥

संख्या-08/लोक-05-07/2011.....14075... / बिहार लोकायुक्त अधिनियम-2011 की धारा-1 की उप धारा (3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना निर्गत की तिथि के प्रभाव से उक्त अधिनियम का प्रवर्तन अधिसूचित करती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से




23.12.11

(नवीन चन्द्र झा)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-08/लोक-05-07/2011.....14075... / पटना, दिनांक- 23.12.11

प्रतिलिपि- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।



23.12.11


सरकार के संयुक्त सचिव

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

॥ अधिसूचना ॥

संख्या-08/लोक-05-07/2011...14076.../ अधिसूचना संख्या-14075 दिनांक-
23.12.11
का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया
जाता है जो भारत संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिसूचना का
अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से



23.12.11

(नवीन चन्द्र झा)
सरकार के संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

Patna, dated..23.12.11...
NO.-08/LOK-05-07/2011...14075.../ In exercise of powers conferred under
subsection- (3) of section-1 of the Bihar Lokayukat Act, 2011 the State
Government notifies enforcement of the said Act with effect from the date of
notification in official Gazette.


By Order of the Governor of Bihar


23.12.11

(Navin Chandra Jha)
Joint Secretary to Govt.

ज्ञापांक-08/लोक-05-07/2011...14075.../ पटना, दिनांक- 23.12.11

प्रतिलिपि- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के
असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।


23.12.11
सरकार के संयुक्त सचिव